"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 अप्रैल 2010—वैशाख 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्र. 3895/डी. 101/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-04-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 3 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "सात हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

(1) मुख्यमंत्री को एक हजार एक सौ पच्चीस रुपये प्रतिदिन, मंत्री को एक हजार एक सौ रुपये प्रतिदिन, राज्यमंत्री को एक हजार नब्बे रुपये प्रतिदिन, उप मंत्री को एक हजार अस्सी रुपये प्रतिदिन तथा संसदीय सचिव को एक हजार पचहत्तर रुपये प्रतिदिन उनकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ते के रूप में दिया जाएगा.

(2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव को आठ हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्रमांक 3895/डी. 101/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2010)

THE CHHATTISGARH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972).

Be it enacted by Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

   (ii) It extend to the whole State of Chhattisgarh.

   (iii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "One Thousand Five Hundred" the words "Seven Thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

3. For sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

   (1) There shall be paid to the Chief Minister one thousand one hundred twenty five rupees per day, to Minister one thousand one hundred rupees per day, to Minister of State one thousand ninety rupees per day, to Deputy Minister one thousand eighty rupees per day and to Parliamentary Secretary one thousand seventy five rupees per day as daily allowances during the term of their office.

   (2) There shall be paid to each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a constituency allowances of eight thousand rupees per month.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.